व्यवहार वाद क्रं–28ए/18
बाबूलाल बनाम राजाराम व अन्य

न्यायालय–व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)
(पीठासीन–आशीष कुमार केशरवानी)

व्य0वा0क्रमांक :–28–ए/2018
संस्थित दिनांकः–08/05/2018
सी0आर0एन0 नं0–35060008872018
फाईल नं0–आर0सी0एस0ए–73/2018

01. बाबूलाल पिता नन्हा गड़ारी, उम्र–69 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बोरी तहसील शाहनगर जिला पन्ना (म0प्र0) .....वादी

//विरूद्ध//

01. राजाराम पिता दशरथ गड़ारी उम्र–50 वर्ष,
02. लम्बू पिता बलैया गड़ारी उम्र–45 वर्ष,
03. लल्लू पिता बलैया गड़ारी, उम्र–40 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम बोरी तहसील शाहनगर जिला पन्ना (म0प्र0)
04. भूरी बाई पिता बलैया गड़ारी उम्र–50 वर्ष, निवासी रामपुर खजरी,
05. छीता बाई पिता बलैया गड़ारी, उम्र–43 वर्ष, हा0नि0 जगदीशपुरा,
06. नीता बाई पिता बलैया गड़ारी उम्र–37 वर्ष, हा0नि0 रामपुर खजरी,
07. लखन पिता जालम गड़ारी, उम्र–46 वर्ष, निवासी ग्राम बोरी तहसील शाहनगर जिला पन्ना (म0प्र0),
08. म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष पन्ना जिला पन्ना (म0प्र0)

.....प्रतिवादीगण

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक पवई जिला पन्ना (म.प्र.)

//निर्णय//
(आज दिनांक 03.08.2019 को घोषित)

01. यह वाद ग्राम बोरी तहसील शाहनगर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1574/1 रकबा 0.14 है0, 1582 रकबा 0.17 है0, 1584 रकबा 0.08 है0, 1585 रकबा 0.05 है0, 1617 रकबा 0.30 है0, 1619 रकबा 0.39 है0, 1620 रकबा 0.09 है0, 1751 रकबा 0.54 है0, 2703 रकबा 0.04 है0, 2704 रकबा 0.04 है0, 2725 रकबा 0.22 है0, 2726 रकबा 0.07 है0 कुलकिता 12 कुल रकबा 2.08 है0 की स्वत्व घोषणा विभाजन एवं प्रतिवादी क्र–1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता

3/8/19
(आशीष कुमार केशरवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, पवई
जिला-पन्ना (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसे निर्णय में आगे, "वादग्रस्त भूमि" के संक्षिप्त नाम से संबोधित किया जावेगा।

02. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में है कि ग्राम बोरी स्थित भूमि आराजी नंबर 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 320, 323, 406 कुलकिता 14 कुल रकबा 3.650 हे0 राजस्व रिकार्ड में रतिया पत्नी बलइया, लम्बू, लल्लू पिता बलइया, लखन पिता जालम, बाबूलाल पिता नन्हा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि बलइया, जालम एवं वादी ने पैतृक आय से स्वंय अर्जित की थी। खसरा कमांक 1574, 1582, 1584, 1585, 1598, 1617, 1619, 1620, 1751, 2703, 2704, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 कुलकिता 18 कुल रकबा 2.970 हे0 शासकीय रिकार्ड में राजाराम पिता दशरथ, रतिया पत्नी बलइया, लम्बू, लल्लू, भूरी बाई, छीता बाई, नीता बाई पिता बलैया व लखन पिता जालम के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है।, जिसका सजरा खानदान निम्न है:–

नन्हा गडारी फौत

दशरथ फौत बलैया फौत जालम फौत बाबूलाल वादी मौजूद

पुत्र राजाराम पत्नी रतिया फौत पुत्र लखन

पुत्री भूरी बाई पुत्री छीता बाई पुत्री नीता बाई पुत्र लम्बू पुत्र लल्लू

03. वादी ने यह भी अभिवचन किया है कि बलैया की पत्नी रतिया की मृत्यु करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पैरा कमांक 2 में दर्शित भूमि में वादी का नाम राजस्व अधिकारियों की भूल से शासकीय रिकार्ड में छूट गया था, जबकि इस भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी क–1 राजाराम के पिता दशरथ करीब 70 वर्ष पूर्व बंटवारा करके अलग हो गये थे, उनका स्वतंत्र खाता बन गया था। उनका उक्त भूमि पर कोई हिस्सा नहीं है। वादी का प्रतिवादीगण से आपसी बंटवारा करीब 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। आपसी बंटवारा में वादी को बंधवा खेत करीब सवा एकड़, चहली नाम का खेत दो खाड़ी का, म्योहड़ की दो बटईयां व एक बंधिया चेहली का बगरा सवा एकड़ बिजोर का और उरझना नाम का खेत मिला था। वादी ने तहसीलदार शाहनगर के यहां उपरोक्त दोनों खातों की भूमि के आपसी बंटवारे एवं मौके पर कब्जे के अनुसार किये जाने हेतु आवेदन पेश किया था, जिसमें सभी प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति दी थी, इसके बावजूद पैरा क–2 की भूमि में वादी का नाम न होने के कारण वादी को कोई हक नहीं दिया गया तथा प्रतिवादी राजाराम का कोई हक नहीं था, फिर भी उसे आराजी नंबर 1574/1, 1582, 1585, 1751 जुज, 2720, 2721, 2722, 2704 कुलकिता 09 कुल रकबा 0.98 हे0 का हक दे दिया है। इस प्रकार तहसीलदार शाहनगर ने उसके राजस्व प्रकरण क–3/अ–27/2015–2016 आदेश दिनांक 10.11.2017 को एक विधि विरूद्ध आदेश पारित किया, जिसे वादी शून्य घोषित कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त

3/8/19
(आशीष कुमार ... रवानी)

Scanned with CamScanner

भूमि वादी के स्वत्व एवं कब्जे की है, जिसमें आपसी बंटवारे के अनुसार वादी 45 वर्ष से काबिज है। प्रतिवादी क–1 का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक नहीं था, लेकिन तहसीलदार शाहनगर ने हक दे दिया, जिससे वह उक्त भूमि को खुर्दबुर्द करने एवं विक्रय करने की फिराक में है। इसलिए वादी प्रतिवादी क–1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराने की पात्रता रखता है। उपरोक्त आधार पर वाद पत्र स्वीकार कर वादग्रसत भूमि का वादी को स्वत्वधारी घोषित किये जाने, वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने एवं प्रतिवादी क–1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. प्रतिवादी क–1, 3, 4 एवं 7 ने अपने जवाब दावा में वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार कर वादी के पक्ष में डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया है एवं जवाब दावा पश्चात् प्रतिवादीगण एकपक्षीय हो गये हैं।

05. प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु प्रमुख विचारणीय बिन्दु निम्न हैं।

01. क्या वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है ?

02. क्या वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?

03. क्या वादी वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने का अधिकारी है ?

04. सहायता एवं खर्च ?

//सकारण निष्कर्ष//

विचारणीय बिंदु कंमाक 1 एवं 3 के संबंध में

06. वादी बाबूलाल (वा.सा.1) ने अपने शपथ पत्रीय मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि भूमि खसरा कमांक 1574, 1582, 1584, 1585, 1598, 1617, 1619, 1620, 1751, 2703, 2704, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 कुल किता 18 कुल रकबा 2.970 है0 वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि के शासकीय रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों की भूल से उसका नाम छूट गया, जबकि इस भूमि में उसका 1/3 हिस्सा है। वादी के कथन का समर्थन झुलईया (वा.सा.2) एवं सुखनंदी (वा.सा.3) ने अपने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में किया, यद्य पि प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में वादी के वाद पत्र के अभिवचन का अपने जवाब दावा में समर्थन किया है एवं प्रतिपरीक्षण के अभाव में वादी व साक्षीगण के कथन अखंण्डित रहे हैं, परन्तु उक्त भूमि पैतृक रही होने के संबंध में वादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत खतौनी संवत् 1973 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी–14 में वादी के पिता नन्हा के नाम पर दर्ज भूमियों में वादग्रस्त भूमियां सम्मिलित होना दर्शित नहीं है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1988 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी–17 में वादग्रस्त भूमियों के पुराने खसरा कमांक का उल्लेख है एवं खतौनी बंदोवस्त वर्ष 1955–56 की प्रमाणित प्रतिलिपि 15 के अवलोकन से दर्शित वादग्रस्त भूमि (पुराना खसरा नंबर) प्रतिवादी क–1 के पिता दशरथ, बलैया व जालम के नाम पर दर्ज रही है। वादी ने स्पष्ट रूप से यह

31/8/19

Scanned with CamScanner

अभिवचन नहीं किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में कब तक दर्ज रहा एवं कब उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से त्रुटिवश छूट गया। वादग्रस्त भूमि का कोई ऐसा दस्तावेज जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक रही हों, प्रस्तुत न किये जाने से मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि होना नहीं माना जा सकता, जिससे वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/3 भाग का अंश होना भी दर्शित नहीं है, जिससे वादी वादग्रस्त भूमि में 1/3 भाग का विभाजन कराने का भी अधिकारी नहीं है। अतः विचारणीय बिंदु क्र–1 एवं 3 का निष्कर्ष, **"अप्रमाणित,"** के रूप में दिया जा रहा है।

विचारणीय बिंदु क्रमाक 2 के संबंध में

07. वादी बाबूलाल (वा.सा.1) ने अपने शपथ पत्रीय मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्र–1 के पिता दशरथ करीब 70 वर्ष पूर्व बंटवारा करके अलग हो गये थे, उनका स्वतंत्र खाता बन गया था एवं उक्त भूमि पर उनका कोई हक हिस्सा नहीं है। वादी का प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि में आपसी बंटवारा 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। भूमि खसरा क्रमांक 1574/1, 1582, 1584, 1585, 1617, 1619, 1620, 1751, 2703, 2704, 2725, 2726 कुलकिता 12 कुल रकबा 2.08 है0 पर वादी आपसी बंटवारे के अनुसार 45 वर्ष से काबिज है, जिसका वादी स्वत्व घोषित कराने का अधिकारी है। वादी के कथन का समर्थन झुलईया (वा.सा. 2) एवं सुखनंदी (वा.सा.3) ने अपने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में किया है, यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में वादी के वाद पत्र के अभिवचन का अपने जवाब दावा में समर्थन भी किया है, परन्तु वादी ने अपने मौखिक कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रतिवादी क्र–1 राजाराम के पिता दशरथ ने 70 वर्ष पूर्व विभाजन करा लिया हो एवं उसका स्वतंत्र खाता निर्मित हो गया हो। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादीगण के स्वत्व, आधिपत्य में दर्ज होना दर्शित है। वादग्रस्त भूमियों पर वादी का विभाजन कराकर 45 वर्ष पूर्व से आधिपत्य होने के संबंध में भी वादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वादग्रस्त भूमियों पर वादी का आधिपत्य होता तो राजस्व अभिलेख में उसके आधिपत्य का इन्द्राज होता। वादग्रस्त भूमियों पर वादी का कोई स्वत्व होना राजस्व दस्तावेजों से दर्शित नहीं है। यद्यपि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमियों पर वादी का स्वत्व होना स्वीकार किया है, परन्तु अचल संपत्ति में स्वत्व का अंतरण मात्र संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वत्व को स्वीकार किया जाना वादी एवं प्रतिवादीगण की दुरभि संधि मे संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने एवं शासन को आर्थिक क्षति कारित करने के उद्देश्य से किया जाना दर्शित है। वादग्रस्त भूमि में संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान अनुसार कोई अंतरण न होने से वादी को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व अर्जित होना दर्शित नहीं है। अतः यह प्रमाणित नहीं है कि वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं

3/8/19
(आशीष कुमार केरकेट्टा)

Scanned with CamScanner

आधिपत्यधारी है। परिणामतः विचारणीय बिंदू क्र-2 का निष्कर्ष, "अप्रमाणित" के रूप में दिया जा रहा है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक 4 के संबंध मे

08. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से वादी यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि ग्राम बोरी स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 1574/1 रकबा 0.14 है0, 1582 रकबा 0.17 है0, 1584 रकबा 0.08 है0, 1585 रकबा 0.05 है0, 1617 रकबा 0.30 है0, 1619 रकबा 0.39 है0, 1620 रकबा 0.09 है0, 1751 रकबा 0.54 है0, 2703 रकबा 0.04 है0, 2704 रकबा 0.04 है0, 2725 रकबा 0.22 है0, 2726 रकबा 0.07 है0 कुलकिता 12 कुल रकबा 2.08 है0, वादी की पैतृक भूमि है एवं वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी यह भी प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि वह वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने का अधिकारी है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

वादी, प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय भी वहन करेगा।

अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो वाद व्यय में जोड़ा जावे।

तदानुसार डिक्री बनाई जावे।

दिनांक :–03.08.2019
स्थान–पवई (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित

Ashish 3/8/19
(आशीष कुमार केशरवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, पवई
जिला पन्ना (म0प्र0)

Scanned with CamScanner